न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।
नियमित जमानत आवेदन सं0– 156 / 2026
आदेश

09.06.2026 यह नियमित जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त प्रेमचंद सिंह उर्फ तुफानी सिंह की ओर से दाखिल किया गया है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 109, 351(2), 352, 3(5) के अधीन दर्ज दिनारा थाना कांड सं0 170 / 2026 में दिनांक 24.04.2026 से कारा में है। उक्त वाद वर्तमान में श्री राकेश रंजन, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बिक्रमगंज, रोहतास के न्यायालय में लंबित है। आवेदन की कॉपी विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है।

उक्त नियमित जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णा सिंह को सुना एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री श्रीधन कुमार तिवारी को सुना।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 22.04.2026 को संध्या लगभग 07.00 बजे सूचक सत्येन्द्र कुमार के पिता को भोजन देने को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। इसी क्रम में सूचक की पुत्री श्रेया कुमारी अपनी बड़ी मां विमला देवी के पास से कुछ सामान लेकर आई, जिससे विवाद बढ़ गया। आरोप है कि अभियुक्त प्रेमचन्द्र सिंह उर्फ तुफानी सिंह एवं अन्य सह अभियुक्त लाठी–डंडा एवं लोहे की रॉड से लैस होकर आए तथा सूचक पर हमला कर दिए, जिससे उसके सिर में चोट लगी। सूचक की पुत्री सुरभी कुमारी को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। दोनों घायलों का उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य कंद्र, दिनारा ले जाया गया, जहां से बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल, सासाराम रेफर किया गया। उक्त घटना के संबंध में वर्तमान प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त ने इस न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय में कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्त का तीन आपराधिक इतिहास है तथा वह इस वाद में दिनांक 24.04.2026 से कारा में है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन का वाद झूठा एवं मनगढ़ंत है क्योंकि जैसा कि अभियोजन ने कहा है वैसी कोई घटना नहीं घटी थी। प्रस्तुत वाद में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 को छोड़कर शेष सभी धाराएं जमानतीय है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय न्याय सहिता की धारा 109 के अंतर्गत कोई अभियोग नहीं बनता है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध कोई विनिर्दिष्ट अभियोग नहीं है। पारिवारिक विवाद के कारण यह मामला दर्ज कराया गया है तथा दोनों पक्ष एक ही परिवार से हैं। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने आवेदक

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।
नियमित जमानत आवेदन सं0 – 156/2026
दिनारा थाना कांड सं0– 170/2026

लगातार
09.06.2026

अभियुक्त के जमानत आवेदन का विरोध किया है तथा यह कहा है कि आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध संगठित रूप से सूचक की छोटी पुत्री, उम्र 12 वर्ष एवं सूचक के साथ मारपीट करने का अभियोग है। केस दैनिकी के साथ जख्मी सुरभि कुमारी का जख्म प्रतिवेदन संलग्न है। चिकित्सक ने चिकित्सकीय जांच के क्रम में जख्मी सुरभि कुमार के सिर पर 3" x 1/2" x 1/2" का जख्म पाया था। उक्त जख्म की प्रकृति के संबंध में चिकित्सकीय प्रतिवेदन अभी अप्राप्त है। आवेदक अभियुक्त के अनुसार उसका तीन आपराधिक इतिहास है। वाद में अभी अनुसंधान जारी है। अतः उन्होंने आवेदक अभियुक्त के जमानत आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की प्रार्थना की है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि आवेदक अभियुक्त इस वाद की प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। आवेदक अभियुक्त के अनुसार उसका तीन आपराधिक इतिहास है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध संगठित रूप से सूचक की छोटी पुत्री, उम्र 12 वर्ष एवं सूचक के साथ मारपीट करने का अभियोग है। केस दैनिकी के साथ जख्मी सुरभि कुमारी का जख्म प्रतिवेदन संलग्न है। चिकित्सक ने चिकित्सकीय जांच के क्रम में जख्मी सुरभि कुमार के सिर पर 3" x 1/2" x 1/2" का जख्म पाया था। उक्त जख्म की प्रकृति के संबंध में चिकित्सकीय प्रतिवेदन (City Scan) अभी अप्राप्त है। वाद में अभी अनुसंधान जारी है।

अतः एतस्मीनपूर्व वर्णित तथ्यों, वाद की परिस्थितियों एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक के कथनों पर विचार करने के पश्चात वाद के वर्तमान प्रक्रम में मैं आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करना उचित नहीं समझता हूं, तद्नुसार आवेदक अभियुक्त का जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बिक्रमगंज।